निदेशक, खान की अध्यक्षता में दिनांक–03.02.2026 (मंगलवार) को अपराह्न 03:00 बजे से VC के माध्यम से आहूत विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– VC के माध्यम से।

VC के माध्यम से उपस्थित सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को स्वागत सम्बोधित करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

1. **समाहरण :–**

समीक्षा के क्रम में सभी जिलों के लिए कुल निर्धारित लक्ष्य 4756.73 करोड़ के विरूद्ध 31 जनवरी, 2026 तक कुल समाहरण 2318.20 करोड़ रूपये का समाहरण प्राप्त हुआ है।

वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 31 जनवरी, 2026 तक जिन जिलों द्वारा निर्धारित लक्ष्य से 60% से कम वसूली की गई है यथाः– रोहतास, पटना, नालन्दा, कैमूर (भभूआ), गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, बेतिया, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्णियाँ, अररिया, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी, सारण, सीवान, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा कुल 27 जिलों से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

जनवरी, 2025 की तुलना में जनवरी, 2026 का प्रतिशत काफी कम है यथाः– मधेपुरा, भागलपुर, मधुबनी, कटिहार, शिवहर, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, पटना एवं रोहतास जिलों से विभिन्न कारणों से यथाः–बालूघाटों के संचालन में रूचि नहीं लेने, बालूघाटों के बंदोबस्तधारियों से बंदोबस्ती की राशि का वसूली नहीं किये जाने, कार्य विभाग से नियमित अनुश्रवण नहीं करने एवं खनिजों से राजस्व समाहरण की प्राप्ति हेतु कार्य योजना तैयार नहीं किये जाने के कारण उन जिलों से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए जाँचोपरांत नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए प्रपत्र 'क' गठित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग)

2. **कार्य विभाग से प्राप्त होने वाले राजस्व समाहरण की अद्यतन स्थिति :–**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कार्य विभाग का निर्धारित लक्ष्य 1263.51 करोड़ के विरूद्ध माह जनवरी, 2026 तक का समाहरण 7193.05 करोड़ है जिसका कुल प्रतिशत 56.93 है, जो काफी कम है। वैसे जिलों जिनका 60% से कम है यथाः– मधेपुरा, सुपौल, सीवान, मधुबनी, दरभंगा, कटिहार, किशनगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय एवं मुंगेर जिलों के सहायक निदेश/खनिज विकास पदाधिकारी को सचेष्ट किया गया कि विभिन्न कार्य विभागों यथाः–NHAI, ग्रामीण कार्य विभाग, PHED, मनरेगा, भवन निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, PWD एवं अन्य विभागों से कार्य योजना बनाकर विभाग के वरीय पदाधिकारियों/संवेदकों से व्यक्तिगत समन्वय

स्थापित कर कटौती की गई राशि को खनन शीर्ष में जमा कराना सुनिश्चित की जाए, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2025–26 समाप्ति में लगभग दो माह से कम समय शेष है।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

3. **बालूघाटों के नीलामी/संचालन :–**

(i) राज्यान्तर्गत कुल–463 पीला बालूघाटों में से वर्तमान में 297 बालूघाट/कलस्टर नीलामित है तथा वर्तमान में 166 अनीलामित बालूघाट है। अब तक मात्र संचालित बालूघाटों की सं0–164 है। उन जिलों के पदाधिकारियों को सख्त निदेश दिया गया कि अविलम्ब जिला समाहर्त्ता से समन्वय स्थापित कर अनीलामित बालूघाटों को जिला समाहर्त्ता से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर निविदा आमंत्रित करने की आवश्यक कार्रवाई की जाय। वित्तीय वर्ष 2025–26 लगभग समाप्ति के कगार पर है।

(अनुपालन :– सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

(ii) राज्यान्तर्गत कुल उजले बालूघाटों/कलस्टरों की सं0–541 है। वर्तमान में कुल–85 नीलामित एवं अनीलामित कुल–456 है एवं अब तक संचालित कुल–23 बालूघाट है। अविलम्ब नीलामी की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

(अनुपालन :– सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

4. **EC निर्गत परन्तु कार्यादेश लंबित बालूघाटों की स्थिति :–**

राज्यान्तर्गत विभिन्न जिलों यथाः–रोहतास, पटना, औरंगाबाद, अरवल, गया, बाँका, मधुबनी, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, वैशाली एवं बेगूसराय जिलों का EC निर्गत है। जिन जिलों द्वारा CTE/CTO एवं कार्यादेश की स्थिति लंबित है, उन जिलों के पदाधिकारियों को सख्त निदेश दिया गया कि अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। इस संबंध में माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। विशेष रूचि लेकर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

5. **प्रत्यार्पित बालूघाटों के पुनर्नीलामी की समीक्षा :–**

राज्यान्तर्गत कुल प्रत्यार्पित बालूघाटों की सं0–78 है, जिसमें से मात्र 08 बालूघाटों की सफल नीलामी हुई है। प्रत्यार्पित बालूघाटों की सघन जाँच की जाय। जाँचोपरान्त शिकायत पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाय। साथ ही प्रत्यार्पित बालूघाटों के Leasee के साथ बैठक कराके समस्याओं का निराकरण करायें, ताकि नीलामी संभव हो सके।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

6. **बालूघाट के एकरारनामा से संबंधित S-Drive की अद्यतन स्थिति :–**

राज्यान्तर्गत कुल बालूघाटों/कलस्टरों की सं0–1004 है, जिसमें से कुल एकरारनामा निष्पादित बालूघाटों की सं0–194 है एवं कुल एकरारनामा निबंधन कराये गये बालूघाटों की सं0–108 है। शेष 86 बचे बालूघाटों/कलस्टरों के लिए अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

7. **कार्य विभाग के अन्तर्गत S-Drive से संबंधित स्थिति :–**

राज्यान्तर्गत कार्य विभाग के अन्तर्गत S-Drive से संबंधित दिनांक 20.01.2026 तक प्राप्त समाहरण 561.92 करोड है। दिनांक 21.01.2026 से 22.01.2026 तक प्राप्त समाहरण 1038.01 लाख है।

सुपौल, सीवान, सारण, मधुबनी, खगड़िया एवं कैमूर का समाहरण शून्य है। उन जिलों के पदाधिकारियों को सख्त निदेश दिया गया कि S-Drive चलाकर राजस्व समाहरण की वसूली सुनिश्चित की जाए।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

8. **विगत तीन वर्षों का कार्य विभाग से प्राप्त राजस्व की तुलनात्मक विवरणी :–**

कार्य विभागों से विगत 03 वर्षों में प्राप्त रॉयल्टी एवं मालिकाना फीस की समीक्षा कर अपेक्षाकृत कम रॉयल्टी का भुगतान करने वाले कार्य विभागों के योजनाओं का जाँचकर नियमानुसार रॉयल्टी एवं मालिकाना फीस जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

कार्य विभागों का पृथक रूप से समाहर्त्ता के अध्यक्षता में बैठक कर सभी कार्य विभागों से रॉयल्टी एवं मालिकाना फीस जमा कराये तथा जिला खनन टास्क फोर्स के एजेण्डा में कार्य विभागों की समीक्षा करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

9. **S-Drive के अन्तर्गत अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण से संबंधित प्रतिवेदनः–**

राज्यान्तर्गत कुल–38 जिलों के क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अवैध खनन/परिवहन एवं भंडारण के संबंध में S-Drive चलाकर नियमानुसार कार्रवाई की जाय। यह भी निदेश दिया गया कि जिला में पदस्थापित खान निरीक्षकों को नियमित रूप से स्थल का निरीक्षण कर नियमानुसार राशि की वसूली की जाय। सभी जिलों को यह भी निदेश दिया गया कि दण्ड मद से राशि की वसूली की भरपाई की जाय। कृत कार्रवाई की सूचना से कमांड एण्ड कंट्रोल सेन्टर को अवश्य सूचित करें।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

10. **Irregularities found from VLTS (NIC) :–**

समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि प्रतिदिन VLTS पोर्टल पर Login कर पाये गये अनियमितता के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

अन्य बिन्दु :–

(1) अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण से राजस्व की प्राप्ति नहीं होने पर नियमानुसार दोषी पर पेनाल्टी लगाना सुनिश्चित करें

(2) जिन जिलों में अधिहरण का मामला लंबित है, संबंधित जिला समाहर्त्ता के समक्ष रखें एवं 01 माह के अन्दर नीलामी कराना सुनिश्चित करें।

(3) जिन जिलों द्वारा ऑनलाईन रिटर्न भरने में तकनीकी कठिनाई आ रही है तो उसे NIC के प्रतिनिधि के संज्ञान में लायें।

(4) चालान की जाँच के संबंध में निदेश दिया गया कि जिन जिलों में चालान ज्यादा फर्जी पाया जाता है तो संबंधित जिला के खान निरीक्षक क्षेत्र का निरीक्षण कर स्वयं सत्यापन करेंगे एवं QR Code से चालान की पहचान करेंगे।

S-Drive के तहत पाये गये फर्जी चालान का अद्यतन प्रतिवेदन कमांड एण्ड कंट्रोल सेन्टर को अविलम्ब भेजे।

(5) सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि राज्यान्तर्गत संचालित ईंट–भट्ठों में कार्यरत मजदूरों का विवरणी स्थल पर जा कर संबंधित मजदूर का नाम एवं पता अंकित कर श्रम विभाग के माध्यम से पहचान पत्र अविलम्ब बनाने का निदेश दिया गया। इस संबंध में मजदूरों का डाटाबेस बन जाने से काफी सहुलियत होगी और यह भी निदेश दिया गया कि आयुष्मान कार्ड बन जाने से संबंधित मजदूरों को ईलाज कराने में काफी सुविधा होगी।

इस संबंध में सभी जिलों के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अगले सप्ताह तक अपने–अपने जिलों का विशेष सर्वे अभियान चला कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें।

(6) पटना जिलान्तर्गत मैट्रो का कार्य काफी तेजी से हो रहा है, इस संबंध में खनिज विकास पदाधिकारी, पटना को निदेश दिया गया कि अविलम्ब मैट्रो के अधीन कार्यरत संवेदक/पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर रॉयल्टी एवं मालिकाना फीस का नियमानुसार राशि की वसूली सुनिश्चित करें। इस संबंध में संबंधित समाहर्त्ता से बैठक करने का निदेश दिया गया।

(7) जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक नियमित रूप से करायें एवं उस बैठक में विभाग के अन्तर्गत आने वाले विषयों को रखें।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

06/02

(मनेश कुमार मीणा)
निदेशक, खान

सं0सं0:– प्र0–II–विविध(बैठक)–15/2023–1025/एम0, पटना, दिनांक :– 06/02/26

प्रतिलिपि :– माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग/संयुक्त सचिव/अवर सचिव/विधि पदाधिकारी/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी–I, II/सभी प्रशाखा पदाधिकारी एवं सभी संबंधित पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी (मु0/क्षे0)/आई0टी0 प्रबंधक खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/2/26

सरकार के अवर सचिव